


कार्यालय, अंचल अधिकारी, नावाडीह(बोकारो)।

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता0 से 18.12.2020 तक
जिला- बोकारो, वाद संख्या:- नीलाम पत्र वाद, सन 11/2017-18

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
8.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। देनदार बैंक PNB Surhi एवं कर्जदार हमरीवाज दोनो अनुपस्थित है। विगत में इस कार्यालय द्वारा पत्रादेश पत्रांक- 369 दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से सूचित करने के बावजूद देनदार बैंक के द्वारा न तो नीलाम पत्र-वाद में सहयोग किया जा रहा है, और न ही कोई प्रतिवेदन भेजा गया है। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद विगत कई तिथियों पर अनुपस्थित रहना यह प्रदर्शित करता है कि देनदार बैंक को राशि की वापसी हेतु युक्तिसंगत रूप से तत्पर (Diligent) नहीं है। बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1974 की धारा 53(2) में प्रावधान है कि <i>the Certificate Officer may cancel any certificate filed under section 6 if the Certificete-holder is not reasonably diligent.</i> अतः न्यायालय द्वारा युक्ति-संगत सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद संबंधित लेनदार (Certificate holder) की रूचिहीनता, व अतत्परता के कारण उसके द्वारा की जाने वाली पैरवी के अभाव में उक्त Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act. 1974 की धारा 53(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये इस नीलाम पत्र वाद को निरस्त (Cancel) किया जाता है। इसकी सूचना संबंधित देनदार बैंक को दें। विस्तृत पक्ष सक्षम लेखापित। न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।</p>	


नीलाम पत्र पदाधिकारी
-सह-
अंचल अधिकारी
नावाडीह।

17/02/23

~~आगिलेले उपलब्ध~~

~~पत्र अनुपस्थित. पत्र को उपलब्ध होने के~~

~~लिए नोडिन निर्गत करें।~~

~~आगिलेले दिनांक 28/02/23 को उपलब्ध~~
~~करें।~~

~~28/02/23~~
~~28/02/23~~

~~जाकारडे~~

28/02/23

~~आगिलेले उपलब्ध~~ किया गया - देनदा के

~~द्वारा बैंक में लक्ष्मी राशि का NOC कार्यालय~~

~~में समाप्त किया गया।~~

~~आगिलेले भी कार्यवाही समाप्त की जाती है।~~

~~28/02/23~~
~~28/02/23~~

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल कार्यालय, नावाडीह (बोकारो)।

अनुसूची 14 - फारम सं0 562


आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....से.....तक

जिला- बोकारो वाद संख्या..... 11/2017-18

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
06/04/2017	<p>प्रबंधक... P.N.B. सुरदी... शाखा जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता..... ने अपने अधियाचना संख्या..... द्वारा देनदार <u>श्री. स्मृतीयाल कुर्सेन</u> पिता- <u>श्री. कुर्सेन</u> 21/04/2017- सुरदी, थाना- नावाडीह</p> <p>..... जिला- बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि <u>308141/-</u> की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही कोर्ट की रूपये कुल..... रूपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है।</p> <p>अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उडिसा लोक माँग अधिनियम-4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत विधिवत सूचना (नोटिस) निर्गत करें।</p> <p>देनदार को सूचना (नोटिस) का तामिला स्थानीय थाना एवं निबंधित डाक के माध्यम से करावें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>21/04/2017</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right"></p>	

30/9/21

आभिलेख उपरजापित किया गया नागिला प्रविषेण
प्राप्त देनदार अनुपस्थित ।


आभिलेख दिनांक 22/11/22 का उपरजापित है,

अं 370
गावाडीह

22/11/22

आभिलेख उपरजापित किया गया नागिला प्रविषेण प्राप्त
देनदार अनुपस्थित,


आभिलेख दिनांक 02/02/23 का उपरजापित है,


अं 370
गावाडीह

02/02/23

आभिलेख उपरजापित किया गया नागिला प्रविषेण
प्राप्त देनदार अनुपस्थित ।

आभिलेख दिनांक 17/10/23 का उपरजापित है,


अं 370
गावाडीह